Directorate of Revenue Intelligence (DRI)

The Directorate of Revenue Intelligence (DRI) is the apex anti-smuggling agency under the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India. For more than six decades now, DRI with its presence across India and abroad has been executing the crucial and sensitive mandate of safeguarding Indian borders and ensuring public safety. DRI is empowered under the Customs Act, 1962 to combat smuggling, including trade-based money-laundering and also under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 to counter the menace of narcotic drugs. Additionally, it also enforces over fifty other allied statutes including The Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005, The Chemical Weapons Convention Act, 2000, Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), The Arms Act, 1959, The Indian Wildlife (Protection) Act, 1972, The Antiquities and Art Treasures Act, 1972, The Foreign Trade (Development & Regulations) Act, 1992 etc. It also implements India's obligations under various international instruments such as those dealing with sanctions imposed by the UN Security Council, Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna (CITES), environmental crimes etc. It takes part in the coordinated global enforcement operations by the World Customs Organisation (WCO) and International Police Organization (INTERPOL).

Ever since its inception in 1957 and in the course of its functioning as the principal anti-smuggling agency in India, DRI has taken many measures to adapt itself to the challenges that come with changes in the economic, technological and security environment. It uses scientific methods in collection of intelligence and in investigation of cases such as data analytics, data mining, forensics etc. DRI works closely with various intelligence and security agencies under Cabinet Secretariat, Ministries of Home, Defence, Finance and also with paramilitary and border guarding forces to carry out anti-smuggling operations on land, air and sea. As a member of the Multi-Agency Centre (MAC) for National Security, it has been collecting and disseminating intelligence relating to national security and terrorism. DRI is also a part of the National Authority Chemical Weapons Convention (NACWC) in the Cabinet Secretariat. Further, DRI is part of the MHA and NIA's Special wings to combat Terror Financing and Financing of Left Wing Extremism (LWE).

Over the years, DRI has registered a large number of cases pertaining to smuggling of contraband goods having bearing on national security such as arms and ammunitions, narcotic drugs, Fake Indian Currency Notes (FICN), Drones, strategic goods used for Weapons of Mass Destruction (WMD) and foreign currencies etc. DRI has also detected numerous cases of smuggling of gold & diamond, trans-border environmental crimes, wildlife, cigarettes and IPR infringements. Further, DRI as the nodal anti-smuggling agency, heads the S-CORD (Anti-smuggling Coordination Centre) and also publishes the annual 'Smuggling in India Report'. It documents cases of smuggling registered by DRI, Customs field formations and other border agencies. In recognition of its commitment to address illegal trade in environmentally sensitive goods and ozone depleting substances, DRI has been awarded the United Nations Environment Programme (UNEP) Award in 2014.

DRI also has a strong presence in the anti-drug-trafficking setup. DRI's seizure of 23.5 metric tonnes of Methaqualone (Mandrax) tablets from a clandestine factory in Rajasthan in the year 2016 was one of the largest seizures of this substance by any agency ever reported in the world.

DRI has also been assisting the SIT on Black Money and the Task Force on Shell Companies. It has played a major role in detection of cases of illicit funds transfer and trade-based money laundering and effected seizures of huge amount of demonetised currencies, thereby making significant contributions to the nation's fight against black money.

On behalf of Indian Customs, DRI is also active in liaising with foreign Customs administrations and international bodies such as the WCO, UNODC and INTERPOL. Indian Customs has entered into 31 Customs Mutual Assistance Agreements covering 62 Customs administrations. DG, DRI leads India's delegation at DG Level talks with Heads of Customs of various countries including Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Bangladesh and also with the enforcement heads of BRICS countries.

DRI has also been protecting the cultural heritage of India and has seized precious antiques and antiquities, while being smuggled out of the country. Many pieces of invaluable Indian antiquities were successfully brought back to the country, some of which were returned by the Governments of USA and Australia to the Prime Minister of India.

Apart from this, DRI carries out investigations, adjudication of cases and launching of prosecution in the courts and sends proposals for detention of hard core smugglers under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Act (COFEPOSA) and attachment of properties under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (SAFEMFOPA) and Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA).

In the course of their duty, some officers of DRI have laid down their lives, suffered grave injuries and faced threats to their lives while fighting the organized crime syndicates, smugglers and drug mafia. The sacrifice and service of these officers have been recognized by the Government of India by decorating them with Kirti Chakra, Presidential Awards and DRI Martyrs' Medals.

Department of Posts is pleased to issue a Commemorative Postage Stamp on Directorate of Revenue Intelligence.

Credits :

Stamp/ FDC/ Brochure/ Cancellation Cachet	:	Smt. Nenu Gupta
Text	:	Based on information received from the proponent

भारतीय डाक विभाग

Department of Posts

India

राजस्व आसूचना निदेशालय

DIRECTORATE OF REVENUE INTELLIGENCE

विवरणिका **BROCHURE**

राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई)

राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन एक सर्वोच्च तस्करी-रोधी एजेंसी है। छह दशक से भी अधिक समय से राजस्व आसूचना निदेशालय पूरे भारत एवं विदेश में अपनी उपस्थिति से भारत की सीमाओं की सुरक्षा एवं जन सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील अधिदेश का निष्पादन कर रहा है। राजस्व आसूचना निदेशालय को भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत व्यापार आधारित मनी लांड्रिंग सहित तस्करी तथा स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत मादक द्रव्यों के खतरों से निपटने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, राजस्व आसूचना निदेशालय सामूहिक विनाश के हथियार एवं इनकी वितरण प्रणाली (गैर कानूनी गतिविधि निषेध) अधिनियम, 2005, रासायनिक हथियार समझौता अधिनियम, 2000, विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा), शस्त्र अधिनियम, 1959, भारतीय वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972, पुरातन वस्तु एवं कला निधि अधिनियम, 1972, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 आदि सहित पचास से अधिक अन्य संबद्ध अधिनियमों को लागू करने का कार्य भी करता है। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, लुप्तप्राय वनस्पति एवं वन्यजीव की प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता (सीआईटीईएस), पर्यावरण संबंधी अपराध अधिनियम आदि द्वारा लगाए गए प्रतिबंध जैसे कार्यों के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय साधनों के अंतर्गत भारत के दायित्वों का पालन भी करता है। यह विश्व सीमा शुल्क संगठन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन (इंटरपोल) के समन्वित वैश्विक प्रवर्तन अभियानों में भाग लेता है।

वर्ष 1957 में इसकी स्थापना से लेकर आज तक भारत में मुख्य तस्करी-रोधी संगठन के रूप में कार्य करने के दौरान, निदेशालय ने ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जो आर्थिक, प्रौद्योगिकीय एवं सुरक्षा परिवेश में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होते हैं। यह, आसूचना एकत्र करने और आंकड़ों के विश्लेषण, आंकड़ों के एकत्रीकरण, फोरेंसिक आदि जैसे मामलों का अन्वेषण करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। जमीन, आसमान एवं समुद्र में तस्करी रोधी अभियानों को कार्यान्वित करने के लिए यह निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधीन विभिन्न आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियों एवं अर्धसैनिक एवं सीमा सुरक्षा बलों के साथ भी समन्वय के साथ कार्य करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहु-एजेंसी केन्द्र (एमएसी) के सदस्य के रूप में यह राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आतंकवाद से संबंधित सूचना एकत्रित एवं प्रसारित करता है। राजस्व आसूचना निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय में राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता (एनएसीडब्ल्यूसी) का भी अंग है। इसके अतिरिक्त, आतंक वित्तपोषण एवं वामपंथी उग्रवाद वित्तपोषण को रोकने के लिए राजस्व आसूचना निदेशालय, गृह मंत्रालय और एनआईए की विशेष इकाई का भी हिस्सा है।

गत वर्षों में, राजस्व आसूचना निदेशालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले निषिद्ध माल जैसे गोला और बारूद, मादक द्रव्य, जाली भारतीय मुद्रा नोट, ड्रोन, सामूहिक विनाश के हथियारों के लिए प्रयोग किया जाने वाला सामरिक माल और विदेशी मुद्रा आदि की तस्करी से संबंधित मामले भारी संख्या में दर्ज किए हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सोने और हीरे की तस्करी, सीमा पार पर्यावरण संबंधी अपराधों, वन्य जीवन, सिगरेट की तस्करी और आईपीआर के उल्लंघन के भी अधिसंख्य मामलों का पता लगाया है। इसके अतिरिक्त, राजस्व आसूचना निदेशालय एक नोडल तस्करी रोधी एजेंसी के रूप में एस-कॉर्ड (तस्करी रोधी समन्वय केन्द्र) का नेतृत्व करता है और 'भारत में तस्करी पर वार्षिक रिपोर्ट' का प्रकाशन करता है। राजस्व आसूचना निदेशालय, सीमा शुल्क क्षेत्र गठनों तथा अन्य सीमांत एजेंसियों द्वारा दर्ज किए गए तस्करी के मामलों को भी दर्ज करता है। पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील वस्तुओं एवं ओजोन को कम करने वाले पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए इसकी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए राजस्व आसूचना निदेशालय को 2014 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

मादक पदार्थ अवैध व्यापार रोधी स्थापना में भी राजस्व आसूचना निदेशालय की सशक्त भूमिका रही है। राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा वर्ष 2016 में राजस्थान स्थित एक गुप्त कारखाने से पकड़ी गई 23.5 मीट्रिक टन मैंड्रेक्स की गोलियों की जब्ती विश्व में दर्ज किसी भी एजेंसी द्वारा इस पदार्थ का किया गया सबसे बड़ा अभिग्रहण है।

राजस्व आसूचना निदेशालय काले धन के संबंध में गठित विशेष अन्वेषण दल और शैल कंपनियों पर गठित कार्य बल की सहायता भी कर रहा है। इसने गैर-कानूनी धन हस्तान्तरण और व्यापार आधारित मनी लांड्रिंग के कई मामलों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एवं नोटबंदी की गई मुद्रा (नोटों) को भारी मात्रा में जब्त किया है, इस प्रकार इसने काले धन के विरूद्ध राष्ट्र की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

राजस्व आसूचना निदेशालय भारतीय सीमा शुल्क की ओर से विदेशी सीमा शुल्क प्रशासनों एवं विश्व सीमा शुल्क संगठन, यूएनओडीसी तथा इंटरपोल जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ संपर्क बनाए रखने में भी सक्रिय है। भारतीय सीमा शुल्क ने 31 सीमा शुल्क पारस्परिक सहयोग समझौते किए हैं जिसमें 62 सीमा शुल्क प्रशासन शामिल हैं। महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश सहित विभिन्न देशों के सीमा शुल्क प्रमुखों एवं ब्रिक्स देशों के प्रवर्तन प्रमुखों के साथ भी महानिदेशक स्तर की वार्ता में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करते हैं।

राजस्व आसूचना निदेशालय भारत की सांस्कृतिक विरासत की भी रक्षा करता रहा है और इसने मूल्यवान पुरावस्तुओं एवं प्राचीन कालीन वस्तुओं को देश से बाहर तस्करी किए जाते समय उनकी जब्ती की है। अमूल्य भारतीय प्राचीन कालीन वस्तुएं सफलतापूर्वक वापस देश में लाई गईं, जिसमें से कुछ यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों द्वारा भारत के माननीय प्रधानमंत्री को लौटाई गईं।

इसके अतिरिक्त, राजस्व आसूचना निदेशालय अन्वेषण, मामलों का न्याय निर्णयन एवं न्यायालयों में अभियोजन आरंभ करने का कार्य करता है तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम (कोफेपोसा) तथा तस्करों एवं विदेशी मुद्रा हेर-फेर कर्ता (संपत्ति जब्ती) अधिनियम, 1976 (सेफेमफोपा) के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की और मनीलांड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत कट्टर तस्करों को कैद करने के लिए प्रस्ताव भेजता है।

राजस्व आसूचना निदेशालय के कुछ अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी के दौरान संगठित अपराध गिरोहों, तस्करों और माफियाओं से लड़ते हुए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। कुछ अधिकारियों ने अपनी जान गंवा दी, कुछ को गंभीर चोटें आईं और उनको मिल रही धमकियों का उन्होंने सामना किया। इन अधिकारियों के बलिदान एवं सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें कीर्ति चक्र, राष्ट्रपति पुरस्कार एवं राजस्व आसूचना निदेशालय शहीदी मेडल से सम्मानित किया है।

डाक विभाग राजस्व आसूचना निदेशालय पर स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभार :

डाक टिकट/ प्रथम दिवस आवरण/ : श्रीमती नीनू गुप्ता
सूचना विवरणिका/ विरुपण कैशे

पाठ : प्रस्तावक से प्राप्त सूचना पर आधारित

भारतीय डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS
INDIA

तकनीकी आंकड़े
TECHNICAL DATA

मूल्य वर्ग	:	500 पैसे
Denomination	:	500 p
मुद्रित डाक टिकटें	:	400440
Stamps Printed	:	400440
मुद्रण प्रक्रिया	:	वेट ऑफसेट
Printing Process	:	Wet Offset
मुद्रक	:	प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद
Printer	:	Security Printing Press, Hyderabad

The philatelic items are available for sale at
http://www.epostoffice.gov.in/PHILATELY_3D.html

मूल्य: ₹ 5.00